

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ.2(क)(ओ-65)अलेस-1/ 352
आदेश

दिनांक 9/8/19

विभाग के आदेश संख्या एफ.2(क)(ओ-65)अलेस-1/310 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा श्री ओमप्रकाश गुप्ता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द में कार्यरत अवधि के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिये पंजीकृत अपराध संख्या 195/2017 में निदेशालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति क्रमांक एफ-2(क)ओ-65/अलेसे-1/306 दिनांक 23.7.2019 जारी किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निलम्बित करते हुये मुख्यालय कोषालय जयपुर (शहर) जयपुर में किया गया ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील संख्या 11550/2019 दायर करने पर निलम्बन आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 2.8.2019 को निलम्बन आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया गया है ।

अतः श्री ओमप्रकाश गुप्ता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को दिनांक 05.08.2019 से आदेशों की प्रतीक्षा में लेते हुये इनका पदस्थापन निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (परिवार कल्याण), जयपुर में किया जाता है ।

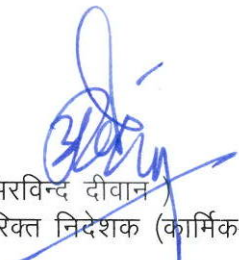
82
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 352

दिनांक 9/8/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,, राजस्थान जयपुर ।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण, राजस्थान जयपुर ।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अकंक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय-1A, जयपुर
7. सयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच) को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु
8. सयुक्त निदेशक (कोष) कार्यालय हाजा
9. उप विधि परामर्शी कार्यालय हाजा
10. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)